कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्भल।

पत्रांक सं. / /जि.का.अ./आ.बा. स्था./विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 के क्रम में जनपद सम्भल में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत संचालित 08 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु महिला अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती प्रक्रियॉ के तहत पोर्टल http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या
1	असमोली	ग्रामीण	30
2	बहजोई	ग्रामीण/शहरी	40
3	बनियाखेड़ा	ग्रामीण/शहरी	35
4	गुन्नौर	ग्रामीण	14
5	जुनावई	ग्रामीण	12
6	पवांसा	ग्रामीण	22
7	रजपुरा	ग्रामीण	09
8	सम्भल	ग्रामीण/शहरी	41
कुल योग :–			**203**

उपर्युक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास खण्ड, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है व आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल http://upanganwadibharti.in पर अपलोड़ है।

चयन हेतु पात्रता/अर्हता एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में हेतु विशेष निर्देश :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगीं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
2. आवेदिका की आयु 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
3. चयन में मेरिट की गणना इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी
4. आवेदक उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी हो। रिक्त पद की ग्राम पंचायत से पात्र आवेदक न होने पर न्याय पंचायत से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
5. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
6. विधवा महिला हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित् नकल मान्य होगी
7. तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा. न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर नहीं की जायेगी।
9. विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 05.05.2026 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक** होगी।

क्रमशः 2–पर

10. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ.प्र. शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–911–राज.–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हों। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ.प्र. शासन के शासनादेश सं. –22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14, सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46,080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू 56,460.00 वार्षिक) का अनुपालन किया जायेगा।

11. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के नीचे का आवेदन न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी सामान्य महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली होगीं उनका चयन किया जायेगा।

12. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता एवं अन्य महिलाएं न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता एवं अन्य महिलाएं उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी महिला का चयन किया जायेगा।

13. आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकडे शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक गलत या कूटरचित पाये जायेगे तो अभ्यर्थिनी का आवदेन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. आवेदन विभागीय बेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड की जायेगीं, जिसका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।

15. उपरोक्त विज्ञाप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी सम्भल बहजोई, निकट मुख्य पशु चिकित्सा कार्यालय परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(महेश कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सम्भल।

पृष्ठांकन संख्या C-194 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ.प्र. लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–सम्भल।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद–सम्भल।
4. समस्त उपजिलाधिकारी महोदय, जनपद–सम्भल।
5. समस्त तहसीलदार, जनपद–सम्भल।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–सम्भल।
7. जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ फि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. सम्पादक दैनिक समाचार, (स्थानीय स्तर पर) दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ उपरोक्त विज्ञप्ति निर्धारित शासकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुए बिल अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
9. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, जनपद–सम्भल।
10. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सम्भल।